कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 411/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 28.10.2026

थाना- जीयनपुर,

☐ मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आजमगढ़। मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में कुल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

☐ पहला मामला—

दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को वादी थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी 24 वर्षीय पुत्री को राहुल कुमार पुत्र गिरधारी पिछले चार वर्षों से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। शादी के लिए कहने पर अभियुक्त ने शादी करने से इनकार कर दिया तथा गाली-गलौज कर वादी और उनके परिवार को जान से मारने एवं मारपीट करने की धमकी दी।

☐ तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0443/2026 धारा 69 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र गिरधारी, निवासी ग्राम पारीपट्टी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष को पारीपट्टी मोड़ के पास चर्च के निकट से गिरफ्तार किया।

☐ दूसरा मामला—

दिनांक 02 अक्टूबर 2026 को एक महिला द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त दिलशाद उर्फ भकालू पुत्र एकलाख उर्फ अखलाक, निवासी कुरैश नगर, जीयनपुर, ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0399/2026 धारा 69 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 351(3) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

☐ पुलिस ने दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को अभियुक्त दिलशाद उर्फ भकालू पुत्र एकलाख उर्फ अखलाक, निवासी कुरैश नगर, जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को जीयनपुर सब्जी मंडी स्थित ईदगाह के पास से गिरफ्तार किया।

☐ दोनों मामलों में थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ पुलिस

□ थाना तरवां पुलिस ने हत्या की नीयत से पिस्टल से फायर करने के आरोप में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, देसी पिस्टल व खोखा कारतूस बरामद।

□ थाना मुबारकपुर पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में न्यायालय से जारी NBW वारंट में वांछित महिला अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरवां और थाना मुबारकपुर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में एक पुरुष अभियुक्त और एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया।

□थाना तरवां—घटना का विवरण एवं गिरफ्तारी:

दिनांक 20.10.2026 को ग्राम सरायभादी निवासी जितेन्द्र यादव ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव के प्रिन्स यादव उर्फ गोलू ने उनके घर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर किया तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर दिनांक 27.10.2026 को मु0अ0सं0 219/2026 धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दिनांक 28.10.2026 को खरिहानी बाजार से आगे आजमगढ़ की ओर जाने वाले तिराहे से अभियुक्त _प्रिन्स यादव उर्फ गोलू पुत्र राजेन्द्र यादव, निवासी सरायभादी, थाना तरवां_ को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से .32 बोर की एक देसी पिस्टल व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है।

□ थाना मुबारकपुर—घटना का विवरण एवं गिरफ्तारी:

दिनांक 28.06.2026 को सठियांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने तथा काफी तलाश के बाद भी पता न चलने की सूचना थाना मुबारकपुर पर दी। इस संबंध में मु0अ0सं0 263/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्ता सरिता पत्नी विजय प्रताप, निवासी डिलियापार सबरुपुर, थाना जीयनपुर, पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप प्रकाश में आया। न्यायालय से जारी गैर जमानतीय वारंट (NBW) के अनुपालन में दिनांक 28.10.2026 को पुलिस ने अभियुक्ता को उकरौरा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया।

□ दोनों मामलों में संबंधित थानों की पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।